संख्या- 34/2024/243/छप्पन-2024-10(3)/2004

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 15 मार्च, 2024

विषय: जनपद लखनऊ में लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे विस्तार एवं बंगला बाजार से बिजनौर पथान्तर योजना हेतु अर्जित भूमि ग्राम गुड़ौरा, औरंगाबाद जागीर व औरंगाबाद खालसा में भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 28ए के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में प्रतिकर की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या 70/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)सं0सं0, लखनऊ दिनांक 29 जनवरी, 2024 एवं अपने पत्रांक 353/ना0उ0नि0/2024 दिनांक 20 फरवरी, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 यथासंशोधित 1984 की धारा 18 के अन्तर्गत प्रकीर्ण वाद सं0 45/2002 जगदेव सिंह आदि बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 जिला जज/पीठासीन अधिकारी, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.03.2023 के अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम 1894 यथासंशोधित 1984 की धारा 28ए के अन्तर्गत प्राप्त प्रश्नगत 16 प्रार्थना पत्रों के क्रम में कुल वांछित धनराशि रू0 2,07,49,208.00 (रूपए दो करोड़ सात लाख उन्चास हजार दो सौ आठ मात्र) (जिसमें 10 प्रतिशत अर्जन व्यय मु0-18,86,292.00 सम्मिलित है।) के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ में लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे विस्तार एवं बंगला बाजार से बिजनौर पथान्तर योजना हेतु अर्जित भूमि ग्राम गुड़ौरा, औरंगाबाद जागीर व औरंगाबाद खालसा में भूमि अर्जन अधिनियम 1894 यथासंशोधित 1984 की धारा 18 के अन्तर्गत प्रकीर्ण वाद सं0 45/2002 जगदेव सिंह आदि बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 जिला जज/पीठासीन अधिकारी, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.03.2023 के अनुपालन में भूमि अर्जन अधिनियम 1894 यथासंशोधित 1984 की धारा 28ए के अन्तर्गत प्राप्त प्रश्नगत 16 प्रार्थना पत्रों के क्रम में कुल वांछित धनराशि रू0 2,07,49,208.00 (रूपए दो करोड़ सात लाख उन्चास हजार दो सौ आठ मात्र) (जिसमें 10 प्रतिशत अर्जन व्यय मु0-18,86,292.00 सम्मिलित है।) की प्रशासकीय एवं वित्तीय के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 2,07,49,208.00 (रूपए दो करोड़ सात लाख उन्चास हजार दो सौ आठ मात्र) को अवमुक्त करते हुए जिलाधिकारी, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(11) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vi) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(12) उक्त प्रतिकर की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन निर्गत की जा रही है कि यदि भविष्य में इस वित्तीय स्वीकृत के अन्तर्गत किसी प्रकार का विचलन/अनियमितता पायी जाती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), संयुक्त संगठन, लखनऊ का होगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 2,07,49,208.00 (रूपए दो करोड़ सात लाख उन्चास हजार दो सौ आठ मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, लखनऊ के निर्वतन पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

रखी जाएगी। जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डय, उ0प्र0, लखनऊ को तत्काल सूचित किया जाएगा।

5- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-38 के पूँजीगत लेखाशीर्षक- "5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: E-7-686-X-2023-24-दिनांक: 15-3-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

संख्या- 34/2024/243(1)/छप्पन-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- जिलाधिकारी, लखनऊ को उनके पत्र संख्या 70/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)सं0सं0, लखनऊ दिनांक 29 जनवरी, 2024 के सन्दर्भ में।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

5- अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), संयुक्त संगठन, लखनऊ।

6- मा0 जिला जज/पीठासीन अधिकारी, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, लखनऊ मण्डल लखनऊ।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.

8- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।